सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 09, मंगलवार, शाके 1944-फरवरी 28, 2023 *Phalguna 09, Tuesday , Saka 1944- February 28, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2023

जी.एस.आर.138 :-राजस्थान स्मारक, पुरावशेष, स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम 19 सन् 1961) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु नियम, 1968 की धारा 6 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रारूप में संशोधन प्रस्तावित करती है। इसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है एवं सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राज-पत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अन्दर-अन्दर प्रभावित होने वाले व्यक्ति अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त प्रारूप के संबंध में 15 दिन की कालावधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा। ऐसी आपत्तियां या सुझाव प्रमुख शासन सचिव; कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को संबोधित किये जा सकेंगे। 15 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

<u>संशोधन का प्रारूप</u>

उक्त नियमों में संलग्न अनुसूची - ॥ में विद्यमान भाग - । के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा,अर्थात् :-

अनुसूची - ॥

(नियम 6 देखिये)

भाग - ।

जयपुर स्थित संरक्षित स्मारकों एवं मेट्रो कला दीर्घा के लिए एकजाई (**Composite**) प्रवेश शुल्क निम्नानुसार संदेय होगा :-

क्र.स.	स्मारक	भारतीय दर्शक	भारतीय विद्यार्थी	विदेशी दर्शक	विदेशी विद्यार्थी
1.	आमेर महल, जन्तर-मन्तर, हवामहल, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल, ईसरलाट, सिसोदिया रानी का बाग, विधाधर का बाग एवं जयपुर मेट्रो कला दीर्घा, जयपुर	420/-	110/-	1,100/-	550/-

यह संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

[संख्या प.5(14) क.सं./2022]
जगदीश आर्य,
शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.